पानी का बढ़ता व्यवसाय

नगर निगम पेयजल की आपूर्ति करने में अक्षम

फरीदाबाद (म.मो.) यह हमारी फ़ितरत है कि हम सभी समस्याओं में व्यवसाय की संभावना तलाश लेते हैं। पानी की समस्या पैदा हुई तो पानी का व्यवसाय शुरू कर दिया गया और अब यह व्यवसाय करोड़ों-अरबों का हो गया है। पानी का व्यवसाय लगातार दिन-दूनी, रात-चौगुनी गति से बढ़ता ही चला जा रहा है। शहर में पानी माफ़िया के पैदा होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि फरीदाबाद से बोतलबंद पानी की सप्लाई दिल्ली तक की जा रही है। इसी तरह, 20 लीटर के जार में पानी पैक कर बाज़ार में बेचा जा रहा है। यह हमारी फ़ितरत है कि हम सभी समस्याओं में व्यवसाय की संभावना तलाश लेते हैं। शहर के अधिकांश निम्न मध्यवर्गीय और उच्च वर्गीय लोग़ इसी जारबंद पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं। बहुत से समृद्ध लोग़ों ने तो अपने यहां 'आर ओ सिस्टम' लगा रखा है। नगर निगम जैसे पानी की सप्लाई करता है, वह नहाने, बर्तन धोने और सफ़ाई करने के काम में आता है। पीने लायक वह किसी भी तरह से नहीं है। इस पानी का स्वाद एकदम खारा और कभी-कभी तो नमकीन होता है। फ़िर भी बहुत से लोग़ मजबूरी में इसे पीते हैं और कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद ही उन्हें पेट में पथरी आदि बनने की समस्या होने लगती है।

इसके अलावा शहर की कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहां नगर निगम पानी की नियमित आपूर्ति नहीं कर पाता। ऐसी कॉलोनियों में डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, संजय कॉलोनी, एसजीएम नगर आदि प्रमुख हैं। यहां के लोग़ों को निजी टैंकरों से दो तरह का पानी खरीदना पड़ता है-एक पीने का मीठा पानी, दूसरा नहाने-धोने एवं अन्य इस्तेमाल के लिए खारा पानी। इन इलाकों में रहने वाले लोग़ों को सुबह-सुबह ही टैंकरों का इंतज़ार करना पड़ता है। टैंकर आता देख सभी पानी खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर कभी किसी कारणवश टैंकर समय पर नहीं आ पाया तो इन लोग़ों की परेशानी देखते ही बनती है। इसके अलावा जहां नगर निगम का खारा पानी आता है, वहां भी लोग़ जारबंद पानी खरीदते हैं। साधन संपन्न लोग़ों के लिए पानी पर अलग से खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, पर अल्प आय वर्ग के लोग़ों के लिए पानी खरीदना एक अतिरिक्त भार होता है। घरों के अलावा तमाम ऑफिसों और दुकानों में जारबंद पानी ही खरीदा जाता है। इस तरह पानी की खपत बहुत ज़्यादा है और पानी का धंधा बहुत ही लाभकारी हो गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस शहर में और आस-पास पानी निकालने के लिए पांच सौ अवैध पंप लगे हुए हैं। इन पंपों से टैंकर भी भरे जाते हैं और बोतल एवं जारबंद पानी भी तैयार किये जाते हैं। बोतलों एवं जारों पर आईएसआई मार्का लगा होता है, पर इस मार्के के बावजूद यह कहना कठिन है कि बोतलों एवं जार का पानी कितना शुद्ध होता है। कई बार तो इतने गंदे जारों में पानी की आपूर्ति की जाती है कि वह पानी पीने को दिल नहीं करता। कई बार जारों पर आईएसआई मार्का नहीं होता तो पूछने पर पानी बेचने वाले कहते हैं कि जार काफ़ी पुराना होने के कारण मार्का मिट गया है। ऐसे में इस पानी की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं रह जाती। कुछ लोग़ कहते हैं कि आईएसआई मार्के का क्या, पैसे दे कर जो चाहे लगवा ले। हां, पानी की शुद्धता की गारंटी तभी हो सकती है, जब उसकी जांच लेबोरेट्री में कराई जाये। पर लोग़ मान लेते हैं कि जारबंद पानी है तो शुद्ध ही होगा। यह मन माने की बात है।

गत वर्ष पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अवैध पंपों को बंद करवाने का निर्देश नगर निगम को दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद नगर निगम अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति का कोई वैकल्पिक उपाय किये बिना सभी अवैध पंपों को बंद करवा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलोनियों में पानी के टैंकर आने बंद हो गये। इसके बाद पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच गई। पहले तो लोग़ पैसे देकर पानी खरीद लेते थे, पर अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं रह गया। परेशान लोग़ों ने नगर निगम पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद अवैध पंपों को फ़िर से अपना धंधा जारी रखने की छूट दे दी गई। यहां कोर्ट ने जब अवैध पंपों को बंद करवाने का आदेश दिया तो साथ में उसे नगर निगम को भी पानी की माकूल व्यवस्था करने का आदेश देना चाहिए था। पर ऐसा नहीं किया गया। परिणाम-वही ढाक के तीन पात।

पानी के धंधे में लागत कम से कम लगती है और मुनाफ़ा अधिक से अधिक होता है। इसलिए यह धंधा बहुत ही आकर्षक है। पर जितने बड़े पैमाने पर यहां भू-जल का दोहन किया जा रहा है, उसके परिणाम आने वाले समय में काफ़ी गंभीर होंगे। अभी ही शहर और इसके आसपास भू-जल सामान्य से काफ़ी नीचे है। अगर इसी तरह जल का दोहन किया जाता रहा तो पानी पाताल में चला जायेगा। फ़िर लोग क्या करेंगे? कहां से पानी लायेंगे? पानी की व्यवस्था करना नगर निगम का उत्तरदायित्व है। उसे मीठे पेयजल की व्यवस्था चाहे जैसे हो, करनी चाहिए। वह आर ओ लगवाये या जो भी व्यवस्था करे, उसकी सिरदर्दी है। लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नगर निगम के वश का यह नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों की रुचि सिर्फ़ लूटने-खाने में है। इनके पास यदि किसी स्रोत से पैसा आता भी है तो इनकी हालत ऐसी गिरी है कि उससे वेतन बांट लिया जाता है। अधिकारियों के अनुसार नगर निगम के पास पैसे का इतना अभाव है कि ये जनता के लिए कोई सुविधा प्रदान कर पाने में अक्षम हैं। लेकिन स्वच्छ पानी पाना लोग़ों का अधिकार है। लोग़ों को चाहिए कि अपने इस अधिकार के लिए वे संगठित होकर संघर्ष करें। लोग़ जब सड़कों पर आ जायेंगे, तभी उनकी समस्या का कुछ समाधान हो सकता है।

सरकारी शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल

पढ़ाई से अलग अन्य ड्यूटियों में लगे शिक्षक

सरकारी शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि समझ में नहीं आता कि इसमें सुधार कब और कैसे होगा। सरकारी स्कूलों की अव्यवस्था को सरकार ही सुधार सकती है, पर देखने में आ रहा है कि इसका बंटाढार सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। स्कूलों में मौजूद शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा सारे काम लिए जा रहे हैं। चाहे पोलियो अभियान हो या चुनाव, जनगणना हो या पशु गणना, सभी कार्यों में शिक्षकों को लगा दिया जाता है बिना यह सोचे कि कक्षाओं में पढ़ायेगा कौन। हज़ारों की संख्या में शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में लगा दिया जाता है और कक्षायें खाली पड़ी रहती हैं। छात्र-छात्रायें आकर खेल-कूद और मौज-मस्ती कर वापस घर चले जाते हैं बिना एक अक्षर पढ़े हुए। प्रश्न यह खड़ा होता है कि सरकार शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में क्यों लगाती है? संभवत: इसलिए कि उसकी नज़रों में शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं है। सरकार सोचती है कि अगर बच्चे दो-चार दिन या हफ़्ते भर नहीं ही पढ़ेंगे तो क्या नुकसान होगा। इसलिये वह शिक्षकों को दूसरी ड्यूटियों पर लगा देती है। जितनों को सरकार अन्य ड्यूटियों पर लगाती है, उतने ही फ़रलो भी मारते हैं। अन्य विभागों के लोग़ों को सरकार जरा किसी दूसरी ड्यूटी में लगा कर देखे तो उसे पता चल जायेगा कि किसी कर्मी को एक जगह से हटा कर दूसरी ड्यूटी में लगाने से कितना नुकसान हो सकता है। पर सरकार की सोच यह है कि शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ायेंगे तो इससे किसी को क्या नुकसान होने वाला है। हद से हद यही कि बच्चों की पढ़ाई पीछे हो जायेगी। हो जायेगी तो होती रहे। बच्चे नकल मार कर पास हो जायेंगे। दूसरे इन सरकारी स्कूलों में वैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जो साधन संपन्न नहीं हैं। जिसके पास थोड़ा भी साधन होता है, वह अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों में पढ़वाता है। यानी सिर्फ़ ग़रीब परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन बच्चों की परवाह सरकार को नहीं है। संभवत: सरकार यह सोचती हो कि पढ़-लिख कर भी ये क्या करेंगे?

ऐसे भी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों-शिक्षिकाओं की भारी कमी है। शिक्षकों के हज़ारों पद न जाने कब से खाली हैं, पर सरकार नियुक्तियां ही नहीं करती। शिक्षकों की जगह काफ़ी कम मानदेय देकर गेस्ट टीचरों से पढ़वाने का काम लिया जाता है। ये गेस्ट टीचर अपने आपको नियमित किये जाने की मांग करते हैं, पर ऐसा भी नहीं किया जाता। अब आकर सरकार कह रही है कि राज्य में तीस हज़ार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। लेकिन यह भर्ती सरकार द्वारा घोषित समय पर होगी या नहीं, इसे कोई नहीं जानता है। फ़िर शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या आज ही सरकार की आंख खुल रही है? पहले सरकार कहां सोई हुई थी? एक साथ इतनी भारी संख्या में शिक्षकों की भर्ती करने से तो अच्छा था कि सरकार पहले से ही खाली पड़ी जगहों पर नियुक्तियां करती चली जाती। इससे शिक्षकों की कमी भी नहीं होती और एक साथ तीस हज़ार नियुक्तियां करने का बोझ भी सरकार पर नहीं पड़ता। लेकिन सरकार ऐसा तभी कर सकती थी जब उसकी नीयत साफ़ हो।

अगर सरकार की नीयत साफ़ होती, उसे बच्चों की पढ़ाई का ध्यान होता तो वह शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में नहीं लगाती। पर यहां तो कोई भी काम हो, शिक्षकों को ही पकड़ लिया जाता है। पढ़ाई से अलग काम करने के कारण धीरे-धीरे शिक्षकों की रुचि भी पढ़ाने में रह नहीं जाती और वे या तो कक्षा में जाना नहीं चाहते और जाते भी हैं तो ढंग से मन लगा कर पढ़ाते नहीं। आज शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि बच्चों को भी पढ़ाने लायक उपयुक्त शिक्षक नहीं मिलते। आज एक ऐसी पीढ़ी सामने आ गई है कि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये तो वह शैक्षिक दृष्टि से पंगु है। लेकिन हालत तो इतनी बुरी है कि जो शिक्षक मौजूद हैं, वे भी स्कूल में उपस्थित नहीं होते, क्योंकि सरकार की बेगार में लगे होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि जब तक शिक्षकों से अन्य काम लेने हों तब तक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दे। इससे बच्चे कम से कम व्यर्थ में स्कूल आने से तो बचेंगे।

अदालत के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं

थाना छांयसा के पुलिस कर्मियों की मनमानी

फरीदाबाद (ग्रामीण प्रतिनिधि) आदर्श थाना छांयसा के पास बल्लभगढ़ देहात के लगभग पंद्रह गांवों में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने का जिम्मा है। लेकिन इस आदर्श थाने की वजह से दिन ब दिन ग्रामवासियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। दस-दस दिन तक एक दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं किया जाता। हर छोटे-बड़े काम के लिए इन वर्दीधारियों ने फीस तय कर रखी है। मोबाइल, लाइसेंस आदि की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए कम से कम दो सौ रुपये, किसी की नौकरी के लिए तसदीक करनी हो तो पांच सौ रुपये आदि जैसा काम वैसा दाम।

विभाग की घूसखोरी के इस भ्रष्ट रवैये से ग्रामवासियों की भी ले दे कर काम कराने की गलत आदत बन गई है। लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आते। उनका मानना है कि आला धिकारियों से शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं होता। महज खानापूर्ति के लिए दरख्वास्त अमल में लाई जाती है, काम तो संबंधित थाने के उन्हीं भ्रष्ट वर्दीधारियों को करना होता है जो कभी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। इतना ही नहीं, कोर्ट का आदेश भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखता।

थाना छांयसा के भ्रष्ट और निकम्मे कर्मचारियों की मनमानी का एक उदाहरण इस संवाददाता के समक्ष गांव जवां के राजबीर पुत्र मोहन लाल ने रखा जो पिछले तीन साल से थाना छांयसा के चक्कर काट रहा है। उसके मकान की दीवार के पास उसके पड़ोसी फूल सिंह पुत्र बिहारी लाल ने चार साल पहले छ इंच चौड़ा बड़ा समबर्सीबल बोर करवाया था। समबर्सीबल बोर में मोटर जमीन के चालीस फीट नीचे लगानी चाहिये थी, लेकिन फूल सिंह ने 8-10 हजार रुपये बचाने की लालच में साधारण हैंडपंप उस बड़े बोर में फिट करवा दिया और उसके ऊपर मोटर रखवा दी जिसे चलाने के दौरान अत्यधिक शोर और कंपन पैदा होता है।

जिसकी वजह से राजबीर के परिवार को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इतना ही नहीं नल चलाने के दौरान पैदा होने वाली कंपन से राजबीर के मकान की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। उसके बाद उसने फूल सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत कराया लेकिन फूल सिंह के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके बाद राजबीर ने पंच, सरपंच और गांव के मौजिज लोगों की पंचायत बुलाई और उनके सामने इस समस्या को हल करवाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन फूल सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लगभग डेढ़ साल तक इसी तरह राजबीर बार-बार पंचायत को बुलाकर फूल सिंह को समझाने का प्रयास करता रहा। अंतत: हारकर उसने थाना छांयसा की शरण ली।

उसने लिखित में थाना छांयसा के सामने अपनी समस्या रखी। बहुत चक्कर लगाने के पश्चात एक बार पुलिस का आदमी मौके पर आया लेकिन राजबीर के वाजिब पक्ष को देखते हुए भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। महीने भर राजबीर से थाने के चक्कर लगवाकर एक पुलिस वाले ने राजबीर से कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते यह कोर्ट का मामला है, वह ही तुम्हारे मकान की क्षतिपूर्ति का क्लेम तुम्हें दिलवा सकती है। इस पर राजबीर ने कहा मुझे क्लेम नहीं चाहिए, बस आप नल को बंद करवा दीजिए। इस बात को सुनकर पुलिस वाले भाई साहब ताव में आ गये और बोले जाओ पहले कोर्ट से आर्डर ले आओ, हम नल को बंद करवा देंगे। बेबस राजबीर को जब पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही तो उसने फरीदाबाद कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया। कुछ दिन बाद निचली अदालत ने राजबीर के विरुद्ध फैसला सुनाया और फूल सिंह को बेकसूर साबित कर दिया। उसके पश्चात राजबीर ने सेशन कोर्ट में अपील डाल दी। उसके बाद करीब एक वर्ष तक तारीख पर तारीख लगती रही। उसके बाद जज साहब ने सारे मामले की तह तक जाने के लिए दो वकीलों की टीम तैयार करवाई और राजबीर ने उसका खर्चा वहन किया। वकीलों की रिपोर्ट के अनुसार जज साहब ने निचली अदालत के बिलकुल विरुद्ध फैसला सुनाया और फूल सिंह को पूरी तरह दोषी पाया गया।

शेष पेज 5 पर

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06